**न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली**

**पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.**

पंचायत निगरानी संख्या : 80/2018

आरसीएमएस नम्बर– 2018/00414

| प्रार्थी:– | बनाम | अप्रार्थीगण :– |
|---|---|---|
| अमरीश पुत्र दलसुखराम जाति गर्ग निवासी सोमेसर तहसील रानी | | 1 भानुप्रसाद पुत्र दलसुखराम जाति गर्ग निवासी सोमेसर तहसील रानी<br>2 ग्राम पंचायत भादरलाउ जरिये सरपंच |

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति :–

1. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री महेन्द्र नारायण ओझा, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1

–: निर्णय :–

दिनांक- 20/02/2019

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के ग्राम पंचायत सोमेसर द्वारा मिसल संख्या 51/2007–08 के सम्बन्ध में पारित प्रस्ताव संख्या 10 दिनांक 06.05.2008 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 14 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी दोनो भाई हैं। जैर निगरानी विवादित आराजी एवं अन्य सम्पतियां प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के पिता दलसुखराम की सम्पति थी। प्रार्थी गुजरात में नौकरी होने के कारण अपने परिवार सहित गुजरात में निवास करता हैं। प्रार्थी द्वारा दलसुखराम जी की एक सम्पति, जो रेल्वे बाउण्ड्री के पास में स्थित है, उसमें अपने हिस्से की भूमि का पट्टा संख्या 1266 प्राप्त किया तथा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने हिस्से की भूमि में 550 वर्गफीट भूमि अधिक अंकित करते हुए पट्टा संख्या 1267 प्राप्त किया। इसके पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 ने ग्राम सेवक एवं सरपंच से मिलावट करते हुए प्रार्थी के पट्टासुदा भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से पट्टा जारी कराने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जबकि अप्रार्थी संख्या 1 को यह बखूबी ज्ञान था कि इस भूमि पर प्रार्थी के नाम पट्टा जारी हो चुका था, जिस पर पट्टा प्राप्ती के हस्ताक्षर भी अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा किए गए थे। इन समस्त तथ्यों की जानकारी होते हुए भी अप्रार्थी संख्या 1 ने ग्राम सेवक तथा सरपंच से मिलावट करते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम

अति॰ जिला कलेक्टर, पाली

1996 में विहित प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी करवाया, जो विधि विरूद्ध हैं। मिसल में सरपंच वजूदेवी के स्थान पर उसके पति मानाराम के हस्ताक्षर है, जो अधिकृत ही नहीं था। इस सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जो अनुसंधानरत हैं। अप्रार्थी संख्या 1 व ग्राम पंचायत द्वारा मिलावट करते हुए प्रार्थी के पट्टासुदा भूखण्ड का पट्टा अप्रार्थी के नाम जारी करवाया है, जो विधि विरूद्ध हैं। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी आज्ञा तथा उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टे को खारिज़ करावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा विधिवत ग्राम पंचायत में आवेदन प्रस्तुत किया है, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा मिसल कायम की जाकर प्रक्रिया अपनाते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत हैं। जैर निगरानी विवादित आराजी पर अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा है। पंचायत द्वारा पूर्ण जांच की जाकर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत हैं। अतः निगरानी खारिज़ करावें। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में डी0एन0जे0 2012 (2) पेज 602, डी0एन0जे0 2015 (4) पेज 1853 तथा डी0एन0जे0 2008 (2) पेज 735 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत भादरलाउ के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपने कब्जासुदा भूखण्ड, जिसके पडौस पूर्व में रेल्वे बाउण्ड्री, पश्चिम में सम्पतजी मीणा का मकान, उत्तर में स्वयं का मकान तथा दक्षिण में बेरा बडा अरट की पानी की वेल व आम रास्ता दरवाजा के बीच स्थित भूमि का पट्टा बनाने का निवेदन किया। इस पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 13.12.2007 को मिसल कायम की गई। इसके पश्चात दिनांक 16.12.2007 को सचिव को नक्शा तैयार करने के आदेश पारित किए गए। उक्त आदेश की पालना में जो नक्शा तैयार किया गया, उस पर नक्शा नवीस के हस्ताक्षर ही नहीं हैं। इसके पश्चात मिसल दिनांक 20.02.2008 को कोरम के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसमें आवेदित भूमि के मौका निरीक्षण हेतु तीन पंचों को मनोनीत किया गया। पंचों ने अपनी रिपोर्ट में एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी कराने का निवेदन किया। इसके पश्चात मिसल दिनांक 05.03.2008 को कोरम के समक्ष प्रस्तुत हुई, जिसमें एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी करने के आदेश पारित किए गए। इस आदेश की पालना में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, उसकी पुस्त पर किसी प्रकार की रिपोर्ट अथवा टिप्पणी अंकित नहीं है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उक्त आपत्ति इश्तिहार किन व्यक्तियों की उपस्थिति में किस स्थान पर चस्पा किया गया हैं। इसके पश्चात दिनांक 06.05.2008 को दो गवाहों के बयान कलमबद्ध किया जाना अंकित करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी

अति० जिला कलक्टर, पाली

पालना में पट्टा जारी करने के आदेश पारित किए। इस आदेश में जिन दो गवाहों के बयान कलमबद्ध करने का अंकन किया गया है, उन गवाहों के बयान पत्रावली के संलग्न ही नहीं हैं। इसके पश्चात दिनांक 07.05.2008 को पट्टा जारी करने के आदेश पारित किए गए, जिस पर सरपंच के रूप में वजू के हस्ताक्षर है, जबकि दिनांक 06.05.2008 एवं उसके पूर्व में जो आदेश पारित किए गए है, उन पर सरपंच के रूप में मानाराम चौधरी के हस्ताक्षर हैं, जो मिसल में अपनाई गई प्रक्रिया को दूषित करता हैं।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्त अवश्य ही सम्माननीय है, जिनमें निगरानी को युक्तियुक्त समय में प्रस्तुत किया जाना ही न्यायोचित माना हैं। हालांकि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में निगरानी प्रस्तुत किए जाने हेतु कोई मियाद निर्धारित नहीं हैं। जहां तक युक्तियुक्त समय की संगणना का प्रश्न है, तो वह प्रकरण की परिस्थितियों पर भी निर्भर करती हैं। जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह पूर्णतः दूषित है तथा विभिन्न अपर न्यायालयों द्वारा अपने श्रृंखलाबद्ध निर्णयों में यह व्यवस्था प्रदान की है कि जब कोई आदेश अथवा आदेश को पारित करने में अपनाई गई प्रक्रिया आरम्भ से ही दूषित हो अथवा शून्य प्रभावी हो, तो उस आज्ञा को निरस्त करने हेतु अपनाई जाने वाली कार्यवाही में मियाद के अधिनियम बाधित नहीं करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होतें हैं।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी का मुख्य आधार यह भी रहा कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 से मिलावट करते हुए प्रार्थी के पट्टासुदा भूखण्ड पर पुनः पट्टा जारी करवाया गया है, जो विधि विरूद्ध हैं। इस सम्बन्ध में प्रार्थी के नाम जारी पट्टा संख्या 1266 दिनांक 31.12.2000 तथा जैर निगरानी पट्टे के पडौस का मिलान करने पर यह प्रकट होता है कि जैर निगरानी पट्टे में वही पडौस अंकित किए गए है, जो प्रार्थी के नाम जारी पट्टे में दर्ज हैं। इससे यह पुख्ता होता है कि जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्टा जारी किया गया है, उस पर पूर्व में पट्टा जारी हो चुका था, जिसकी जानकारी अप्रार्थी संख्या 1 व ग्राम विकास अधिकारी (ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव) को बखूबी थी, क्योंकि पूर्व में जो पट्टा जारी हुआ, उस पर इन दोनों के हस्ताक्षर थे, जो उन्हे जैर निगरानी पट्टे की भूमि पर पूर्व में पट्टा जारी होने की जानकारी को प्रमाणित करती हैं। इसके अतिरिक्त जब मानाराम चौधरी सरपंच ही नहीं था, तो उसके द्वारा किन आदेशों से राजकीय दस्तावेजात पर हस्ताक्षर किए गए ? यह न केवल जांच का विषय है, बल्कि राजकीय दस्तावेजात् के दुरूपयोग को भी परिलक्षित करता है, जिसके लिए न केवल उक्त मानाराम चौधरी, बल्कि तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी (ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव) भी समान रूप से दोषी प्रतीत होतें हैं। इसी को लेकर प्रार्थी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाया जाना जाहिर किया गया है, जो जैर अनुसंधान हैं। चूंकि ग्राम विकास अधिकारी (ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव)

अति० जिला कलक्टर, पाली

एक राजकीय कर्मचारी है, जिसने जैर निगरानी पट्टे की आराजी पर पूर्व में पट्टा जारी होने की जानकारी होते हुए भी दुबारा पट्टा जारी करवाने में अपनी भूमिका का निर्वाहन किया है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता हैं। इस हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् पाली को निर्देशित किया जाता है कि तत्कालीन ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव श्री शेषाराम मेघवाल के विरूद्ध राजस्थान सेवा नियम (अपील, नियन्त्रण एवं वर्गीकरण) नियम 1958 के नियम 16 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावे। चूंकि प्रकरण में पंचायती राज नियमों का दुरूपयोग किया जाकर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से खारिज़ योग्य हैं।

परिणाम स्वरूप निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत सोमेसर द्वारा मिसल संख्या 51/2007–08 के सम्बन्ध में पारित प्रस्ताव संख्या 10 दिनांक 06.05.2008 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 14 को अपास्त किया जाता हैं। निर्णय की सत्य प्रति तहरीर के साथ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् पाली को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे तथा निर्णय की सत्य प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 20/02/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली